61 (8) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु डी ओ पी टी के तारीख 20.2.1984 के मार्गनिर्देश सं. 27(3)–ई ओ/84 (ए सी सी) और तारीख मई 1992 के सं. 23 (5) ई ओ/92 (ए सी सी) में पुनः जारी किए गए निर्देशों के संबंध में लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिए जाने वाले अभ्यर्थियों की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के परिणामस्वरूप सरकार ने इस विषय पर विचार किया कि बोर्ड स्तर की नियुक्ति के लिए चयन हेतु अधिकतम आयु में संशोधन करने की आवश्यकता है और इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गएः–

(क) इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से बोर्ड स्तरीय पद के लिए विचार हेतु अधिकतम आयु सीमा विभागीय या विभागेतर कार्यपालकों के लिए 58 वर्ष होगी।

(ख) आंतरिक अभ्यर्थियों की अधिकतम 58 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट देकर 31.5.98 से लेकर अब तक लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा किए गए चयन की ऐसे अभ्यर्थियों को छोड कर समीक्षा की जाएगी क्योंकि चयन करते समय अधिकतम आयु सीमा में 58 वर्ष तक की छूट के लिए मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति का अनुमोदन आंतरिक व बाह्य अभ्यर्थियों के लिए नहीं था।

(ग) अभ्यर्थियों की पात्रता तय करने की अंतिम तिथि पद रिक्त होने की वास्तविक तिथि होगी। तथापि ऐसी रिक्ति में जहां मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा पैनल की अस्वीकृति या चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पद भार ग्रहण न करने जैसे कारणों से लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा पुनः चयन अपेक्षित है वहां पर निर्णायक तिथि मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा पैनल की अस्वीकृति की तिथि होगी।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया उपर्युक्त निर्णयों को नोट कर लें।

(डी पी ई का 3 फरवरी, 1999 का का.ज्ञा. सं. 18/6/98–डी पी ई (जी एम)